सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 63/18 **निर्णय दिनांकः 12/03/2018**

1. रूकमणी पत्नी श्री आसुराम जाति जाट निवासी बीरवाना तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 01—12—2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 01—12—2005 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन अन्य को आवंटित कर दी गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील पूगल के चक नम्बर 4 एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 178/63 के किला नम्बर 1 मा 25 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि मोहरबन्द बोली में आवंटित की गई थी। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा 20 प्रतिशत राशि

रूपये 9200/— दिनांक 24—03—2005 को जरिये जी.ए. 55 संख्या 418368/40 द्वारा खजानाराज में जमा करवा दी गई थी। अदालत मातहत द्वारा 20 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया। उक्त आदेश जारी करने के बाद राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने का दायित्व राजस्व कर्मचारियों का था लेकिन इस आश्य का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण उक्त रकबा अन्य व्यक्ति को आवंटित हो गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को आवंटित भूमि को अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि यदि प्रकरण में एक ही भूमि को राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व उदासीनता के कारण दो व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई तो ऐसे मामलों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है।

अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—12—2005 के विरूद्व अपील दिनांक 12—01—18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटन हो चुकी है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—12—2005 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 12—01—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा मोहनबन्दी बोली के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर मोहरबन्द बोली के तहत अधिकतम बोलीदाता होने के कारण वादगत् भूमि तहसील पूगल के चक 4 एसएम के मुरब्बा नम्बर 178/63 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि की एवज में निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत राशि रूपये 9200/— जरिये जी.ए. 55 रसीद संख्या 418368 द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई।

(2) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, मोहरबन्द बोली के तहत अधिकतम बोली होने के उपरान्त उक्त आवंटन की पुष्टि आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर से प्राप्त की गई। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा आंवटन की पूर्ण प्रक्रिया को अपनाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के हक में किया गया है। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का पुनः मोहरबन्द बोली के तहत आवंटन अन्य व्यक्ति रणवीर पुत्र लालचन्द को कर दिया गया। अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन अन्य आवंटियों किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(4) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार—बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(5) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(6) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(7) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट उसी श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—12—2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर